# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

**पीठासीन अधिकारी–श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस**

राजस्व आवेदन संख्या 249/2023

प्रार्थीनी

1. पवनी चौधरी पुत्री श्री आसूसिंह कौम जाट साकिन नेहरू नगर बाड़मेर, तहसील बाड़मेर, जिला बाड़मेर

**बनाम**

विप्रार्थीगण

1. पुखराजसिंह पुत्र पदमा
2. रामेश्वरसिंह पुत्र पदमा, कौम पुरोहित निवासी भूंका थानसिंह
3. कानूचौधरी पत्नी श्री जालाराम कौम जाट निवासी रूपनगर 02 पालरोडा, जोधपुर
4. बाबूलाल पुत्र श्री राणमल
5. सुषमादेवी पत्नी श्री बाबूलाल कौम ओसवाल, निवासी सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)**

**उपस्थिति–**

1. श्री चिमनसिंह चौधरी , अधिवक्ता प्रार्थीनी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी एकतरफा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:40:24 IST
Reason: SelfAttested

**आदेश**

**दिनांक** 23.01.2024

**1**. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी का खेत मौजा पटवार मण्डल भूंका वगतसिंह के राजस्व ग्राम डेरपाना के खेत खसरा संख्या 60 रकबा 1.0274

उपखण्ड अधिकारी

... प्राथी के उक्त खेत विप्रार्थीगण के ... हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीनी द्वारा खेत मौजा मौजा पटवार मण्डल भूंका वगतसिंह के राजस्व ग्राम डेरपाना के खेत खसरा संख्या 60 रकबा 1.0274 हैक्टेयर किस्म बा. दो. भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीनी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्र्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीनी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीनी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीनी के खेत पटवार मण्डल भूंका वगतसिंह के राजस्व ग्राम डेरपाना के खेत खसरा संख्या 60 रकबा 1.0274 हैक्टेयर किस्म बा. दो.भूमि आई हुई है। प्रार्थीनी का उक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा मौजा पटवार मण्डल भूंका वगतसिंह के राजस्व ग्राम डेरपाना के खेत खसरा संख्या 60 रकबा 1.0274 हैक्टेयर किस्म बा. दो. भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीनी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया पटवार मण्डल भूंका वगतसिंह के राजस्व ग्राम डेरपाना के खेत खसरा संख्या 60 रकबा 1.0274 हैक्टेयर किस्म बा. दो. भूमि प्रार्थीनी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीनी विवादित भूमि की रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसकी प्राथीनी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्र्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीनी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:40:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

5. लिहाजा,प्रार्थीनी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी के पटवार मण्डल भूंका बगतसिंह के राजस्व ग्राम डेरपाना के खेत खसरा संख्या 60 रकबा 1.0274 हैक्टेयर किस्म बा. दो. भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीनी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थीनी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

**उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी**

आदेश आज दिनांक 24.01.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी**

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:40:24 IST
Reason: SelfAttested